`

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

(डाक जीवन बीमा निदेशालय)

चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021

परामर्शदाता बीमांकक की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

डिस्क्लेमर

इस प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) दस्तावेज में अंतर्विष्ट जानकारी या बाद में डाक विभाग, भारत द्वारा या उसकी ओर से चाहे मौखिक रूप से या दस्तावेजी या किसी अन्य रूप में बोलीदाताओं को प्रदान की गई जानकारी बोलीदाताओं को आरएफपी में निर्धारित निबंधनों और शर्तों और ऐसे अन्य निबंधनों और शर्तों पर प्रदान की जाती है जिनके अध्यधीन ऐसी जानकारी प्रदान की जाती है।

यह आरएफपी न तो एक करार है और न संभावित बोलीदाताओं या किसी अन्य व्यक्ति को डाक विभाग द्वारा कोई प्रस्ताव और आमंत्रण है। इस आरएफपी का उद्देश्य इच्छुक पार्टियों को ऐसी जानकारी प्रदान करना है जो इस आरएफपी के अनुसार उनके प्रस्तावों को तैयार करने में उनके लिए उपयोगी हो सकती है।

इस आरएफपी में बोलीदाताओं को प्रदान की गई जानकारी व्यापक मामलों पर है, जिनमें से कुछ कानून की व्याख्या पर निर्भर करती है। दी गई जानकारी वैधानिक आवश्यकताओं का संपूर्ण विवरण नहीं है और इसे कानून का पूर्ण या आधिकारिक विवरण नहीं माना जाना चाहिए। प्राधिकरण यहां व्यक्त कानून पर किसी भी व्याख्या या राय के सटीक होने या न होने के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है।

डाक विभाग भी इस आरएफपी में निहित कथनों पर किसी भी आवेदक की निर्भरता से उत्पन्न लापरवाही या अन्यथा के परिणामस्वरूप किसी भी प्रकृति की कोई देयता स्वीकार नहीं करता है।

डाक विभाग अपने पूर्ण विवेक से, लेकिन ऐसा करने के लिए किसी भी दायित्व के बिना, इस आरएफपी में निहित जानकारी, आकलन या धारणा को अद्यतन, संशोधित या पूरक कर सकता है।

इस आरएफपी के जारी होने का अर्थ यह नहीं है कि डाक विभाग किसी बोलीदाता का चयन करने या चयनित बोलीदाता को पूर्णकालिक बीमांकक नियुक्त करने, जैसा भी मामला हो, के लिए बाध्य है, और डाक विभाग नियत कारण (कारणों) से सभी या किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

बोलीदाता अपने प्रस्ताव को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबद्ध या उससे संबंधित अपनी सभी लागतों को वहन करेंगे, जिसमें आरएफपी तैयार करना, प्रतियां बनाना, डाक व्यय, वितरण शुल्क, डाक विभाग

द्वारा अपेक्षित किसी भी प्रदर्शन या प्रस्तुतियों से जुड़े व्यय तथा उसके प्रस्ताव से जुड़े या उससे संबंधित अन्य लागतें शामिल हैं, लेकन ये व्यय इन तक सीमित नहीं हैं। इस तरह की सभी लागतें और व्यय बोलीदाता द्वारा वहन की जाएंगीं और डाक विभाग किसी भी तरह से इसके लिए या किसी अन्य लागत या प्रस्ताव को तैयार करने या प्रस्तुत करने में बोलीदाता द्वारा किए गए अन्य व्ययों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे चयन प्रक्रिया का संचालन और परिणाम कुछ भी हो।

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
(डाक जीवन बीमा निदेशालय)
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021

एफ सं.: 29-19/2020-एलआई दिनांक: 11.11.2021

<u>पीएलआई निदेशालय में परामर्शदाता बीमांकक की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव का आमंत्रण</u>

मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम), डाक जीवन बीमा निदेशालय (पीएलआई), चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 पीएलआई निदेशालय में शुरू में दो वर्ष की अवधि के लिए, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, एक परामर्शदाता बीमांकक की नियुक्ति के लिए भारतीय बीमांकक संस्थान के इच्छुक फैलो सदस्यों से निर्धारित आवेदन पत्र में प्रस्ताव आमंत्रित करता है। परामर्शदाता बीमांकक को डाकघर जीवन बीमा निधि (पीओएलआईएफ), ग्रामीण डाकघर जीवन बीमा निधि (आरपीओएलआईएफ), अतिरिक्त विभागीय एजेंट समूह बीमा योजना निधि (ईडीएजीआईएस)/ग्रामीण डाक सेवक समूह बीमा योजना निधि (जीडीएसजीआईएस) का बीमांकिक मूल्यांकन करना होगा।) परामर्शदाता बीमांकक को आईआरडीए (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2000 में उल्लिखित कर्तव्यों और दायित्वों के अनुसार विभिन्न प्रकार के पीएलआई/आरपीएलआई उत्पादों के बारे में बीमांकिक सलाह प्रदान होगी और आरएफपी दस्तावेज़ की धारा 4 में उल्लिखित नए उत्पादों को डिजाइन करना होगा। निविदा दस्तावेज निबंधनों और शर्तों के साथ www.eprocure.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। बोलीदाता वेबसाइट पर लॉग इन करके निविदा दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं।

2. ई-प्रोक्योरमेंट में भाग लेने के इच्छुक बीमांकक अपनी बोलियां www.eprocure.gov.in पर उपलब्ध निविदा दस्तावेजों में निर्धारित मानक प्रारूपों में जमा करेंगे। बोलीदाताओं को अपनी बोलियों के समर्थन में www.eprocure.gov.in पर सभी प्रासंगिक प्रमाणपत्रों, दस्तावेजों आदि की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करनी होंगी। बोलीदाता को अपने द्वारा अपलोड किए गए सभी विवरणों, दस्तावेजों आदि की शुद्धता/प्रामाणिकता की जिम्मेदारी लेते हुए उन पर हस्ताक्षर करने होंगे। बोली दस्तावेज www.indiapost.gov.in से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। बोलीदाता को बोली के साथ भारत सरकार द्वारा निर्धारित एक बोली-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता प्रस्तुत करना होगा। सत्यनिष्ठा समझौते के बिना अपलोड की गई बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. निविदा की समय-सारणी:

आरएफपी जारी करने की तिथि	11.11.2021
बोली अपलोड करने की आरंभ तिथि	12.11.2021
बोलीदाताओं द्वारा ई-मेल के माध्यम से आरएफपी दस्तावेज़ के बारे में प्रश्न करने की अंतिम तिथि (प्रश्न ईमेल आईडी- amplidte@gmail.com पर भेजे जाएं तथा gmbiplidte@gmail.com और cgmplidte@gmail.com पर cc किए जाएं)	22.11.2021
पीएलआई निदेशालय द्वारा स्पष्टीकरण जारी करने की तिथि	29.11.2021
आरएफपी जमा करने की अंतिम तिथि और समय	14.12.2021, 1400 बजे
आरएफपी बोली को खोलने की तिथि और समय	15.12.2021, 1400 बजे

(अंजू निगम)
मुख्य महाप्रबंधक
डाक जीवन बीमा निदेशालय,
चाणक्यपुरी डाकघर परिसर
नई दिल्ली-**110021**

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
(डाक जीवन बीमा निदेशालय)
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021

एफ.सं.: 29-19/2020-एलआई दिनांक: 11.11.2021

परामर्शदाता बीमांकक की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

1. आमंत्रण पत्र :

1.1 आपको भारत के राष्ट्रपति की ओर से (i) डाकघर जीवन बीमा निधि (पीओएलआईएफ), (ii) ग्रामीण डाकघर जीवन बीमा कोष (आरपीओएलआईएफ) और (iii) अतिरिक्त विभागीय एजेंट समूह बीमा योजना निधि/ग्रामीण डाक सेवक समूह बीमा योजना निधि (जीडीएसजीआईएफ) के बीमांकिक मूल्यांकन के लिए परामर्शदाता बीमांकक की नियुक्ति की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बीमांकक को डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा के लिए नए उत्पादों को डिजाइन करना होगा, मौजूदा नीतियों की विशेषताओं में बदलाव करना होगा और जीवन बीमा व्यवसाय की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार की बीमांकिक सलाह देने आदि का कार्य करना होगा। बीमांकक पीओएलआईएफ और आर पीओएलआईएफ के निवेश बोर्ड का भी सदस्य होगा। उसके कर्तव्यों का विस्तृत विवरण आरएफपी दस्तावेज के खंड 4 में दिया गया है।

2. प्रस्ताव के बारे में जानकारी:

2.1 मार्च 2021 के अंत में पीओएलआईएफ (पीएलआई) में छह अलग-अलग योजनाओं की 47 लाख से अधिक सक्रिय पॉलिसी थीं, जबकि आरपीओएलआईएफ (आरपीएलआई) की छह अलग-अलग योजनाओं की 51 लाख से अधिक सक्रिय पॉलिसी थीं। ईडीएजीआईएस/जीडीएसजीआईएफ के मामले में लाभार्थियों की कुल संख्या लगभग 2.5 लाख है।

2.2 डाक जीवन बीमा निदेशालय बीमांकक को पीएलआई और आरपीएलआई निधि के मूल्यांकन के लिए आवश्यक इनपुट डेटा की आपूर्ति करेगा। फंड के मूल्यांकन के लिए आवश्यक सभी डेटा परामर्शदाता बीमांकक द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार समेकित तरीके से, वर्ग-वार और मूल्यांकन वर्ष-वार उपलब्ध कराया जाएगा।

3. बोलीदाताओं के लिए निर्देश

3.1 निविदा दस्तावेज निबंधनों और शर्तों के साथ www.eprocure.gov.in पर अपलोड कर दिए गए हैं। बोलीदाता वेबसाइट पर लॉग-इन करके निविदा दस्तावेज देख सकते हैं।

3.2. ई-प्रोक्योरमेंट में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाताओं को www.eprocure.gov.in पर उपलब्ध निविदा दस्तावेजों में निर्धारित मानक प्रारूप में अपनी बोलियां जमा करनी होंगी। बोलीदाताओं को अपनी बोलियों के समर्थन में www.eprocure.gov.in पर सभी प्रासंगिक प्रमाणपत्रों, दस्तावेजों आदि की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करनी होंगी। बोलीदाता को अपने द्वारा अपलोड किए गए सभी विवरणों, दस्तावेजों आदि की शुद्धता/प्रामाणिकता की जिम्मेदारी लेते हुए उन पर हस्ताक्षर करने होंगे। बोलीदाता को बोली के साथ भारत सरकार द्वारा निर्धारित एक बोली-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता

प्रस्तुत करना होगा (**अनुबंध-तीन**)। सत्यनिष्ठा समझौते के बिना अपलोड की गई बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।

3.3 व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार यह निविदा दस्तावेज सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (यूआरएल: http//eprocure.gov.in) पर प्रकाशित किया गया है। **बोलीदाताओं को वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों का उपयोग करके केवल सीपीपी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोलियां जमा करनी होंगी।** सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन बोलियां जमा करने के लिए उपयोगी अधिक जानकारी http://eprocure.gov.in/eprocure/app पर प्राप्त की जा सकती है।

3.4 बोलीदाताओं को "नामांकन के लिए यहां क्लिक करें" लिंक पर क्लिक करके सीपीपी पोर्टल (यूआरएल: http://eprocure.gov.in/eprocure/app) के ई-प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल पर नामांकन करना आवश्यक है। सीपीपी पोर्टल पर नामांकन नि:शुल्क है।

3.5 बोलीदाताओं को नामांकन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में एक अद्वितीय यूजरनेम चुनना होगा और अपने अकाउंट्स के लिए एक पासवर्ड बनाना होगा।

3.6 बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अपना वैध ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दर्ज करें। इनका उपयोग सीपीपी पोर्टल से किसी भी संचार के लिए किया जाएगा।

3.7 नामांकन के बाद, बोलीदाताओं को अपने प्रोफाइल के साथ सीसीए इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रमाणन प्राधिकरण द्वारा जारी अपने वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (हस्ताक्षर कुंजी उपयोग के साथ तृतीय श्रेणी के प्रमाण पत्र) को पंजीकृत करना होगा।

3.8. बोलीदाता द्वारा केवल एक वैध डीएससी पंजीकृत किया जाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि वे अपने डीएससी दूसरों को उधार नहीं देंगे क्योंकि उनका दुरुपयोग हो सकता है।

3.9 बोलीदाता तब सुरक्षित लॉग-इन के माध्यम से अपनी यूजर आईडी/पासवर्ड और डीएससी का पासवर्ड दर्ज करके साइट पर लॉग इन करेगा।

4. पीएलआई निदेशालय में परामर्शदाता बीमांकक के कर्तव्यों का विवरण:

4.1 डाकघर जीवन बीमा निधि (पीओएलआईएफ) और ग्रामीण डाकघर जीवन बीमा निधि (आरपीओएलआईएफ) का बीमांकिक मूल्यांकन करना। मूल्यांकन कार्य में अन्य बातों के साथ-साथ पॉलिसीधारक देयता (एएलएम) का बीमांकिक मूल्यांकन, मृत्यु दर, निरंतरता, व्यय, बहाली, निवेश रिटर्न आदि में अनुभव अध्ययन शामिल होंगे। इसके अलावा, परामर्शदाता बीमांकक को डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवकों के लिए जीडीएसजीआईएस/ईडीएजीआईएस (समूह बीमा योजना) के लाभों की तालिका की जांच करनी होगी।

4.2 मौजूदा उत्पादों और प्रीमियम तालिकाओं की आवधिक समीक्षा करना।

4.3 नए उत्पादों/प्रीमियम तालिका की डिजाइनिंग और ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए हामीदारी सलाह देना।

4.4 बीमांकिक संबंधी मामलों और आईआरडीएआई विनियमों के संबंध में पेशेवर सलाह देना।

4.5 पीएलआई और आरपीएलआई उत्पादों के लिए निवेश सुझाव देते हुए एएलएम अभ्यास परिणामों का आधार बनाना।

4.6 प्रत्येक उत्पाद के लिए प्रतिवर्ष बोनस की सिफारिश करना।

4.7 पॉलिसीधारक के रिजर्व की गणना करना, सर्वोत्तम अनुमान और मूल्यांकन दोनों आधार पर।

4.8 संबंधित निधियों की शोधन क्षमता की गणना करना।

4.9 प्रोत्साहन/कमीशन संबंधी मामलों में पेशेवर सलाह देना।

4.10 नीति संबंधी व्ययों का विश्लेषण करना।

4.11 निरंतरता रिपोर्ट।

4.12 परामर्शदाता बीमांकक पीएलआई निवेश बोर्ड का सदस्य होगा और पीएलआई निवेश बोर्ड की बैठकों में भाग लेगा।

4.13 यह सुनिश्चित करने के लिए पेशेवर सलाह देना कि निवेश पोर्टफोलियो व्यवसाय की देयता प्रोफाइल और मौजूदा आईआरडीए दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

4.14 पीएलआई एसबीयू (रणनीतिक व्यापार इकाई) से संबंधित कार्य में सहायता देना। पीएलआई एसबीयू कार्य के संबंध में आईआरडीएआई, वित्त मंत्रालय और अन्य संस्थाओं को प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की समीक्षा करना। इस संबंध में आईआरडीएआई, परामर्शदाता, सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं के साथ सभी बैठकों और बातचीत में भाग लेना।

4.15 परामर्शदाता बीमांकक को पीएलआई निदेशालय में महीने में आठ (8) दिन उपस्थित होना होगा। इसके अलावा, परामर्शदाता बीमांकक को सीजीएम (पीएलआई) के कहने पर पीएलआई निदेशालय में बैठकों आदि में भाग लेना होगा।

4.16 परामर्शदाता बीमांकक को निवेश प्रभाग, मुंबई/डीपीएलआई कोलकाता और जरूरत पड़ने पर किसी अन्य स्थान का दौरा करना होगा। इसके लिए परामर्शदाता बीमांकक निदेशक ग्रेड के सरकारी अधिकारी की पात्रता के अनुसार टीए/डीए के लिए पात्र होगा। विभागीय निरीक्षण क्वार्टरों को ठहरने के लिए बुक किया जा सकता है, बशर्ते कि वे उपलब्ध हों।

4.17. परामर्शदाता बीमांकक को नीचे दी गई आवधिकता के अनुसार निम्नलिखित रिपोर्टें प्रस्तुत करनी होंगी:-

क्रम सं.	रिपोर्ट	आवधिकता
(i)	पीओएलआईएफ मूल्यांकन रिपोर्ट	वार्षिक
(ii)	आरपीओएलआईएफ मूल्यांकन रिपोर्ट	वार्षिक
(iii)	जीडीएसजीआईएस/ईडीएजीआईएस के लाभों की तालिका की जांच	वार्षिक

(iv)	मौजूदा उत्पादों और प्रीमियम तालिकाओं की समीक्षा करना, जीवन बीमा उद्योग के अनुरूप नए उत्पादों के विकास के लिए सिफारिशें करना।	आवश्यकतानुसार
(vii)	बीमांकिक संबंधी मामलों और आईआरडीएआई विनियमों पर विभाग को पेशेवर सलाह देना।	आवश्यकतानुसार
(viii)	विभाग द्वारा अपनाए जाने वाले निवेश पैटर्नों पर एएलएम रिपोर्ट और सिफारिशें।	आवश्यकतानुसार
(xiii)	पीएलआई निदेशालय द्वारा यथावांछित कोई अन्य रिपोर्ट।	आवश्यकतानुसार

5. अर्हता-पूर्व (पीक्यू) मानदंड:

परामर्शदाता बीमांकक के लिए पूर्वापेक्षाएँ निम्नानुसार हैं:

(i) वह भारत का/की नागरिक होना/होनी चाहिए। **(सीपीपी पोर्टल पर निवास का कोई वैध प्रमाण अपलोड करना है)।**

(ii) उसका निवास/मुख्यालय दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में होना चाहिए। देश के अन्य हिस्सों में निवास/मुख्यालय वाले बोलीदाता भी इस शर्त के अधीन आवेदन कर सकते हैं कि वह चयन के बाद दिल्ली / राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में रहेंगे / मुख्यालय रखेंगे। **(स्व-घोषणा बोलीदाता द्वारा सीपीपी पोर्टल पर अपलोड की जानी है)।**

(iii) वह बोली दस्तावेज जमा करने की तिथि को इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया (आईएआई) का फैलो सदस्य होना/ होनी चाहिए। **(बोली के साथ आईएआई से प्राप्त प्रमाणपत्र सीपीपी पोर्टल पर अपलोड किया जाना है)।**

(iv) उसने पेशेवर आचरण का कभी उल्लंघन नहीं किया हो। **(इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया / पिछले नियोक्ता द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाणपत्र / या स्व-घोषणा को सीपीपी पोर्टल पर अपलोड किया जाना है)।**

(v) बोली दस्तावेज जमा करने की तिथि को उसके खिलाफ इंस्टिट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया या किसी अन्य बीमांकिक पेशेवर निकाय द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई या किसी भी न्यायालय में मामला लंबित नहीं होना चाहिए। **(बोली के साथ सीपीपी पोर्टल पर स्व-घोषणा या इंस्टिट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया से प्राप्त प्रमाणपत्र अपलोड किया जाना है)।**

(vi) उसके पास इंस्टिट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी एक वैध सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (सीओपी) होना चाहिए **(इस संबंध में आईएआई से प्राप्त प्रमाणपत्र सीपीपी पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए)।**

(vii) बोली दस्तावेज जमा करने की तिथि को उसकी आयु पचपन (55) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। **(जन्म तिथि प्रमाणपत्र सीपीपी पोर्टल पर अपलोड किया जाना है)।**

3. अनुभव पात्रता:

(i) भारत में बीमा उद्योग (जीवन और साधारण बीमा) में न्यूनतम 2 वर्ष का बीमांकिक अनुभव।

(ii) उपर्युक्त 2 वर्षों के बीमांकिक कार्य अनुभव में से कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव भारत में जीवन बीमा उद्योग में

होना चाहिए।

(iii) केवल एक व्यक्तिगत बीमांकक (और बीमांकिक या परामर्श फर्म नहीं) बोली में भाग लेने के लिए पात्र है।

(iv) बोली के साथ सभी पिछले और वर्तमान पदों की पुष्टि करने वाले आवश्यक दस्तावेज सीपीपी पोर्टल पर अपलोड किए जाने चाहिए।

7. प्रस्ताव की प्राप्ति: प्रस्ताव (आरएफपी दस्तावेज) को सीपीपी पोर्टल पर निर्धारित तिथि और समय (04.10.2021 को 1400 बजे) के भीतर अपलोड किया जाना चाहिए।

8. मूल्यांकन प्रक्रिया: सीपीपी पोर्टल पर प्राप्त बोलियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया तीन चरणों में होगी:

8.1 <u>अर्हता-पूर्व (पीक्यू) मूल्यांकन:</u>

8.1.1 सभी प्रस्तावों का मूल्यांकन इस आरएफपी दस्तावेज के **खंड 5** (**अनुबंध-दो** में दिए गए प्रारूप के अनुसार) में निर्दिष्ट अर्हता-पूर्व मानदंड के आधार पर उनकी पात्रता का आकलन करने के लिए किया जाएगा।
8.1.2 किसी भी अर्हता-पूर्व मानदंड को पूरा नहीं करने वाले प्रस्तावों को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

8.2 <u>तकनीकी बोली मूल्यांकन:</u>

तकनीकी बोली मूल्यांकन में दो चरण शामिल होंगे, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

8.2.1 **चरण I:** सभी पात्र प्रस्तावों का मूल्यांकन निविदा मूल्यांकन समिति (टीईसी) द्वारा इस आरएफपी दस्तावेज़ के **खंड 8.5 के खंड 6 और क्रम संख्या (i) और (ii)** के अनुसार मूल्यांकन मानदंड के आधार पर किया जाएगा।

8.2.2 **चरण II:** सभी बोलीदाताओं को इस आरएफपी दस्तावेज़ के **खंड 8.5 की क्रम संख्या (iii)** के अनुसार 30 मिनट की प्रस्तुति (अधिकतम 20 स्लाइड) देनी होगी।

8.2.3 35 अंक या उससे अधिक अंक (कुल 60 अंकों में से) प्राप्त करने वाले आवेदकों (बोलीदाताओं) को तकनीकी रूप से अर्हताप्राप्त घोषित किया जाएगा।

8.3 <u>वित्तीय बोली मूल्यांकन</u>:

8.3.1 तकनीकी मूल्यांकन चरण में अर्हता प्राप्त करने वाले आवेदकों की वित्तीय बोलियां एक तिथि और समय पर खोली जाएंगी, जिसकी सूचना बोलीदाताओं को दी जाएगी।

8.3.2 वित्तीय बोली आरएफपी दस्तावेज के अनुबंध-IV में दिए गए प्रारूप के अनुसार बोलीदाता द्वारा भरी जाएगी।

8.3.3 वित्तीय बोली के लिए अधिकतम अंक 40 **(खंड 8.5 का क्रमांक (iv))** होंगे।

8.4 <u>विविध</u>

8.4.1 बोलीदाता द्वारा तकनीकी बोली और वित्तीय बोली सीपीपी पोर्टल पर अलग-अलग अपलोड की जानी चाहिए।

8.4.2 बोलीदाता का अंतिम चयन आरएफपी दस्तावेज के **खंड 8.6** में दिए गए क्यूसीबीएस (गुणवत्ता और लागत आधारित चयन) मानदंड के अनुसार किया जाएगा।

8.5 <u>तकनीकी और वित्तीय बोली के लिए अंक प्रदान करने हेतु मानदंड</u>:

क्रम सं.	मूल्यांकन मानदंड	आवंटित अधिकतम अंक
(i)	भारत में बीमा उद्योग में बीमांकिक अनुभव के वर्षों की संख्या (जीवन और साधारण बीमा) (i) 2 वर्ष और अधिक : 20 अंक	**20**
(ii)	भारत में जीवन बीमा उद्योग में बीमांकिक अनुभव के वर्षों की संख्या: (i) 1 वर्ष और अधिक : 20 अंक	**20**
(iii)	निम्नलिखित 4 विषयों पर प्रस्तुति (अधिकतम 20 स्लाइड) 1. भारत में जीवन बीमा उद्योग, कोविड-19 का प्रभाव और आगे की राह। 2. भारत में जीवन बीमा उद्योग का व्यय और निरंतरता अध्ययन। 3. भारत में जीवन बीमा उद्योग में एएलएम। 4. पीएलआई और आरपीएलआई के लिए सुझाई गई बीमांकिक रणनीति	**20**
	तकनीकी बोली का योग	**60**
(iv)	वित्तीय बोलियां	**40**
	कुल	**100**

8.6 चयन की विधि (क्यूसीबीएस): परामर्शदाता के अंतिम चयन का निर्णय लेने में प्रस्ताव की तकनीकी बोली को 60% का वेटेज दिया जाएगा। केवल तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त करने वाले परामर्शदाताओं की कीमत-बोलियां खोली जाएंगी। न्यूनतम लागत वाले प्रस्ताव को 100 अंक दिए जाएंगे और दूसरे प्रस्ताव को ऐसे अंक दिए जाएंगे जो उनकी कीमतों के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। वित्तीय प्रस्ताव को 40% वेटेज आवंटित किया जाएगा। कुल प्राप्तांक निकालने के लिए नियोक्ता निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करेगा:

8.6.1 कुल प्राप्तांक = {0.6 x T(s)} + {0.4x100xLEC/EC}, जहां T(s) का अर्थ तकनीकी स्कोर है, EC का अर्थ वित्तीय प्रस्ताव की मूल्यांकन लागत है, LEC का अर्थ वित्तीय प्रस्ताव की न्यूनतम मूल्यांकन लागत है।

8.6.2 प्रस्तावों को कुल प्राप्तांकों के आधार पर रैंक प्रदान किया जाएगा। उच्चतम प्राप्तांक (एच-1) वाले प्रस्ताव को संविदा देने के लिए विचार किया जाएगा और यदि आवश्यक हो, तो बातचीत के लिए बुलाया जाएगा।

8.6.3 उदाहरण:

यदि इस आरएफपी के जवाब में तीन प्रस्ताव, ए, बी और सी प्राप्त हुए और निविदा मूल्यांकन समिति (टीईसी) ने उन्हें तकनीकी बोली में 60 में से क्रमशः 40, 45 और 50 अंक दिए, तो सभी तीन प्रस्ताव वित्तीय बोलियां खोलने के संबंध में तकनीकी रूप से योग्य होंगे। इसके अलावा, यदि ए, बी और सी द्वारा वित्तीय बोली में उद्धृत कीमत क्रमशः 120, 100 और 110 रुपये थी, तो स्कोरिंग निम्नानुसार की जाएगी:

<u>तकनीकी बोली के प्राप्तांक:</u>

प्रस्ताव ए: 40 x 0.6 = 24.00

प्रस्ताव बी: 45 x 0.6 = 27.00

प्रस्ताव सी: 50 x 0.6 = 30.00

<u>वित्तीय बोली के प्राप्तांक:</u>

ए: (100 / 120) X 0.4 = 0.33 x100 = 33

बी: (100 / 100) X 0.4 = 0.40 x 100 = 40

सी: (100 / 110) x 0.4 = 0.36 x 100 = 36

<u>संयुक्त प्राप्तांक</u>

ए = 24+33= 57

बी= 27+40= 67

सी= 30+36 = 66

प्रस्ताव बी को एच1 माना जाएगा और उसके चयन के लिए सिफारिश की जाएगी। एच1 प्राप्तांक में बराबरी की स्थिति में, उच्च तकनीकी प्राप्तांक वाली बोली को एच1 माना जाएगा।

8.6.4 **निविदा मूल्यांकन समिति** किसी भी गणना संबंधी त्रुटियों को ठीक करेगी। गणना संबंधी त्रुटियों को ठीक करते समय, आंशिक राशि और कुल राशि के बीच या शब्दों और अंकों के बीच विसंगति

के मामले में आंशिक राशि और शब्द मान्य होंगे। उपरोक्त सुधारों के अलावा, तकनीकी प्रस्ताव में वर्णित मदों, लेकिन जिनकी कीमत नहीं दी गई है, को अन्य गतिविधियों या मदों की कीमतों में शामिल माना जाएगा। यदि वित्तीय प्रस्ताव में किसी गतिविधि या पंक्ति में दी गई मद की मात्रा तकनीकी प्रस्ताव से दी गई मात्रा से भिन्न है, तो वित्तीय प्रस्ताव में किसी सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8.6.5. वित्तीय प्रस्तावों को खोलने के बाद, बोलीदाता को परामर्शदाता बीमांकक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र घोषित किया जाएगा। यदि आवश्यक समझा गया तो उसे बातचीत के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

9. बोलियां जमा करना

9.1 बोलीदाता खण्ड 1 में दिए गए निर्देशों के अनुसार सीपीपी पोर्टल के माध्यम से बोली/प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करेंगे। बोलीदाता बोली प्रक्रिया के शुल्क के रूप में रु. 2,000/- (दो हजार रुपये मात्र) की एसीजी-67 रसीद की हार्ड कॉपी (किसी भी डाकघर से) या डिमांड ड्राफ्ट डाक द्वारा/हाथ से पीएलआई निदेशालय को भेजेंगे। एसीजी-67 / डिमांड ड्राफ्ट सीजीएम (पीएलआई), पीएलआई निदेशालय, नई दिल्ली-110021 के नाम में बनवाया जा सकता है।

9.2 अपूर्ण बोलियों को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। पीएलआई निदेशालय, जहां आवश्यक हो, आरएफपी दस्तावेज़ में प्रदान की गई किसी भी जानकारी के संबंध में किसी भी स्तर पर किसी भी/सभी आवेदकों (बोलीदाताओं) से और स्पष्टीकरण मांग सकता है। आवेदक को निर्धारित समय सीमा के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर संबंधित आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई बोलियों को अपूर्ण माना जाएगा।

10. स्वीकार करने का अधिकार

10.1 पीएलआई निदेशालय, डाक विभाग किसी भी या सभी प्रस्तावों को उनके लिए बताए गए कारण से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और सबसे कम कीमत वाली या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। इस संबंध में पीएलआई निदेशालय, डाक विभाग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

10.2 भाग लेने वाले बोलीदाता की ओर से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में कोई भी विफलता और काम कराने के लिए समर्थन जुटाने का कोई भी प्रयास उसकी भागीदारी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

11. सेवा-अवधि

परामर्शदाता बीमांकक की सेवा-अवधि शुरू में समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से **दो वर्ष** की अवधि के लिए होगी और इसे दोनों पक्षों की आपसी सहमति से समान निबंधनों और शर्तों पर एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

12. बोलियों के मूल्यांकन के लिए मानदंड

12.1 बोलियों का मूल्यांकन उपरोक्त खंड 8 के अनुसार किया जाएगा। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा दिया गया और सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। कार्य का सौंपा जाना संविदा के विशिष्ट निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन होगा।

13. प्रस्ताव स्वीकार किए जाने की सूचना

13.1 भाग लेने वाले सफल बोलीदाता को विभाग द्वारा उसका प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बारे में सूचित किया जाएगा।

14. प्रस्ताव की समाप्ति

14.1 इस प्रकार चयनित बीमांकक का कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर उसे एक माह का नोटिस देकर संविदा को समाप्त किया जा सकता है।

15. बोली की वैधता

15.1 बोली उसे खोले जाने की तिथि से 180 दिनों की अवधि के लिए वैध होगी।

16. तकनीकी और वित्तीय बोलियों का प्रारूप क्रमशः अनुबंध-एक, दो, तीन और चार में दिया गया है। तकनीकी बोली और वित्तीय बोली अनुबंध-आठ (1.1) और अनुबंध-आठ (1.2) में उल्लिखित सहपत्र के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

17. बोली प्रक्रिया शुल्क:

17.1 बोली प्रक्रिया शुल्क के रूप में 2,000/- रुपये (दो हजार रुपये मात्र) की राशि भारत के किसी भी डाकघर में किसी भी डाकघर में गैर-वर्गीकृत रसीदों (यूसीआर) के तहत या सीजीएम (पीएलआई), पीएलआई निदेशालय, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जाएगी और **यूसीआर रसीद / डिमांड ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी बोलीदाता द्वारा दस्तावेजों / बोलियों के साथ सीपीपी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।** यूसीआर / डिमांड ड्राफ्ट की मूल रसीद मुख्य महाप्रबंधक, डाक जीवन बीमा निदेशालय, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली -110021 को आरएफपी जमा करने की अंतिम तिथि को या उससे पहले भेजी जाएगी।

18. बयाना राशि:

18.1 बोली प्रतिभूति के एवज में, बोलीदाताओं से यह स्वीकार करते हुए "बोली सुरक्षित करने की घोषणापत्र" पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया जाता है कि यदि वे वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोलियों को वापस लेते हैं या संशोधित करते हैं, तो उन्हें बोलियां खोलने की तारीख से तीन साल के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। "बोली सुरक्षित करने की घोषणापत्र" का प्रारूप परिशिष्ट-पांच के रूप में संलग्न है। बोली सुरक्षित करने का घोषणा पत्र 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर में दिया जाना चाहिए।

19. बोली लगाने की शर्तें:

निविदा/बोली को निम्नलिखित आधारों पर तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा:

(i) यदि प्रस्ताव उनकी प्राप्ति के लिए निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त होता है, भले ही निविदा खोली गई हो या नहीं।

(ii) यदि भाग लेने वाले बीमांकक द्वारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(iii) यदि प्रस्ताव किसी भी प्रकार से अपूर्ण है।

(iv) निर्धारित प्रक्रियाओं आदि का पालन किए बिना प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

(v) यदि उम्मीदवार किसी भी निबंधन और शर्त को स्वीकार करने से इनकार करता है।

(vi) यदि प्रस्ताव की शर्तों में परिवर्तन किया जाता है।

(vii) यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार प्रस्तावित प्रस्ताव से सीधे जुड़े किसी भी प्रावधान का अनुपालन नहीं कर रहा है।

(viii) यदि वह किसी अनिवार्य पूर्व-अपेक्षित मानदंड को पूरा नहीं करता है।

(ix) यदि प्रस्ताव निर्धारित बयाना राशि जमा किए बिना और बोली प्रक्रिया शुल्क के बिना प्राप्त होता है।

(x) यदि बोलीदाता बोली-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता और बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन फॉर्म को अपलोड/प्रस्तुत करने में विफल रहता है।

20. कार्य की समीक्षा और मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा:

20.1 निधि के मूल्यांकन के लिए आवश्यक इनपुट डेटा प्रत्येक वर्ष जून-जुलाई तक डाक जीवन बीमा निदेशालय/डीपीएलआई कोलकाता द्वारा बीमांकक को उपलब्ध कराया जाएगा। परामर्शदाता बीमांकक पीएलआई निदेशालय और डीपीएलआई, कोलकाता द्वारा डेटा के पूर्ण सेट की प्राप्ति से दो महीने की अवधि के भीतर पीओएलआईएफ, आरपीओएलआईएफ और ईडीएजीआईएस 1992/जीडीएसजीआईएस 2010 का मूल्यांकन करेगा।

21. शुल्क के भुगतान की शर्तें**:**

21.1 शुल्क के भुगतान की शर्तें निम्नलिखित हैं:

(i) कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

(ii) बीमांकक बिल की राशि की संस्वीकृति के लिए मासिक आधार पर बिल प्रस्तुत करेगा।

(iii) सभी भुगतान केवल चेक/बैंक अंतरण द्वारा किए जाएंगे।

(iv) इस पैरा में उल्लिखित शब्द "भुगतान" में इस संविदा के तहत बीमांकक को देय सभी प्रकार के भुगतान शामिल हैं, लेकिन इसमें प्रतिभूति जमा राशियां, यदि कोई हो, शामिल नहीं हैं, जो संविदा के अलग खंडों द्वारा नियंत्रित होती हैं।

(v) वह किसी अन्य क्षमता में कार्य नहीं करेगा/करेगी जिसके परिणामस्वरूप परामर्शदाता बीमांकक के रूप में उसकी भूमिका निभाने में हितों का टकराव हो। परामर्शदाता को उसी कार्य के संबंध में किसी भी स्रोत से कोई अन्य पारिश्रमिक प्राप्त नहीं होगा, सिवाय उसके जो संविदा के तहत प्रदान किया गया है।

(vi) परामर्शदाता बीमांकक को सभी भुगतान निर्धारित दर के अनुसार टीडीएस/जीएसटी टीडीएस की कटौती के अध्यधीन होंगे।

22. सत्यनिष्ठा समझौता:

22.1 बोलीदाता को अनुबंध-तीन में दिया गया सत्यनिष्ठा समझौता विधिवत हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करना होगा। यदि बोलीदाता इस सत्यनिष्ठा समझौते को प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसकी बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।

23. कार्यनिष्पादन प्रतिभूति:

23.1 सफल बोलीदाता को संविदा मूल्य के 3% के बराबर राशि की कार्यनिष्पादन प्रतिभूति किसी अनुसूचित/वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार्य रूप में, अपना कार्यकाल/संविदा पूरा होने से कम से कम छह महीने की आगे की अवधि के लिए प्रस्तुत करनी होगी। सफल बोलीदाता की ईएमडी की राशि को कार्यनिष्पादन प्रतिभूति की सकल राशि में समायोजित नहीं किया जाएगा।

23.2 डाक विभाग द्वारा सूचित निष्पादन प्रतिभूति की राशि सूचना प्राप्ति की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर चयनित बोलीदाता द्वारा बैंक गारंटी के रूप में जमा की जाएगी।

23.3 संविदा की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने या लापरवाही या गैर-अनुपालन या असंतोषजनक प्रदर्शन की स्थिति में डाक विभाग के आदेश द्वारा कार्यनिष्पादन प्रतिभूति को जमा को जब्त किया जा सकता है।

23.4 डाक विभाग द्वारा कार्यनिष्पादन प्रतिभूति पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

24. मध्यस्थता:

इसके पक्षकारों के बीच किसी भी विवाद या मतभेद की स्थिति में, ऐसे विवादों या मतभेदों को आपसी परामर्श से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा। यदि ऐसा समाधान संभव नहीं है, तो अनसुलझे विवाद या मतभेद को सचिव, संचार मंत्रालय द्वारा सचिव, विधि कार्य के विभाग ("विधि सचिव"), भारत सरकार की सिफारिश पर नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता किए जाने के लिए भेजा जाएगा। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 (1996 का संख्यांक 26) का प्रावधान मध्यस्थता पर लागू होगा। ऐसी मध्यस्थता का स्थान दिल्ली या किसी अन्य स्थान पर होगा, जैसा कि मध्यस्थ द्वारा तय किया जाए। मध्यस्थता कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी होगी। मध्यस्थ एक तर्कपूर्ण निर्णय ("अवार्ड") करेगा, जो अंतिम और पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता की लागत करार के पक्षकारों द्वारा समान रूप से साझा की जाएगी। हालांकि, प्रत्येक पक्षकार द्वारा तैयारी, प्रस्तुति के संबंध में किए गए व्यय स्वयं पक्षकार द्वारा ही वहन किए जाएंगे। निवेदन और/या निर्णय, मतभेद या दावे के लंबित रहने या मध्यस्थता निर्णय के प्रकाशित होने तक; पक्षकार इस करार के तहत अपने सभी दायित्वों को इस तरह के निर्णय के अनुसार अंतिम समायोजन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पूरा करना जारी रखेंगे। विवाद, यदि कोई हो, केवल नई दिल्ली स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

25. न्यायालय का क्षेत्राधिकार:

25.1 उक्त संविदा के संबंध में डाक विभाग/बीमांकक के लिए और उसके खिलाफ किसी भी मतभेद, विवाद और दावे का फैसला करने के लिए अकेले सिविल कोर्ट दिल्ली का विशेष अधिकार-क्षेत्र होगा।

26. अप्रत्याशित घटना:

26.1 दोनों में से कोई भी पक्षकार अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि उक्त विफलता पूरी तरह से दैवीय घटना, सरकारी प्रतिबंधों या अनुदेशों, प्राकृतिक आपदाओं या तबाही, महामारी या देश में अशांतिक के कारण है।

26.2 अप्रत्याशित घटना से प्रभावित पक्षकार तुरंत दूसरे पक्षकार को इस तरह की घटना के बारे में सूचित करेगा और अप्रभावित पक्षकार को ऐसी अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप होने वाली अक्षमता की समाप्ति की भी सूचना देगा।

27. गोपनीयता खंड :

पीएलआई, आरपीएलआई और ईडीएजीआईएस/जीडीएसजीआईएस से संबंधित डेटा और जानकारी को गोपनीय रखा जाना चाहिए और इसे वाणिज्यिक प्रकृति की जानकारी माना जाना चाहिए। इस डेटा/जानकारी की गोपनीयता का कोई भी उल्लंघन होने पर संविदा को समाप्त किया जा सकता है तथा कार्यनिष्पादन प्रतिभूति और डाक विभाग द्वारा किसी भी अन्य देय राशि को जब्त किया जा सकता है।

28. शास्ति खंड:

28.1 किसी भी त्रुटि या दोष का पता चलने पर, इस प्रकार चयनित बीमांकक विभाग द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपनी लागत पर ऐसी त्रुटि या दोष को ठीक करेगा, यदि ऐसा करने के लिए कहा जाता है।

28.2 बीमांकक का कार्य महत्वपूर्ण प्रकृति का है। अतः खण्ड-4 में दी गई समय-सारणी का पालन किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर कार्य की प्रत्येक मद पर 2% प्रति सप्ताह की देरी की दर से जुर्माना लगाया जाएगा और उसे बीमांकक को देय किसी भी भुगतान से वसूल किया जाएगा।

(अंजू निगम)
मुख्य महाप्रबंधक (पीएलआई)

<u>अनुबंध-एक</u>

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

(डाक जीवन बीमा निदेशालय)

चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021

<u>सामान्य जानकारी और जांचसूची</u>

1.	बीमांकक का नाम	:	
2.	जन्म तिथि (प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना है)	:	
3.	योग्यता:		
	(i) शैक्षिक	:	
	(ii) पेशेवर	:	
4.	राष्ट्रीयता	:	
5.	पता:		
	(i) स्थायी पता	:	
	(ii) वर्तमान/पत्राचार का पता	:	
6.	संपर्क जानकारी		
	(i) टेलीफोन नं.	:	
	(ii) मोबाइल नं.	:	
	(iii) फैक्स नं.	:	
	(iv) ई-मेल आईडी	:	
7.	क्या आप/आपका दिल्ली/दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं/मुख्यालय है (हां/नहीं)। देश के अन्य हिस्सों में रहने/मुख्यालय वाले बोलीदाता भी इस शर्त के अधीन आवेदन कर सकते हैं कि वह चयन के बाद दिल्ली / राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में रहेंगे / उनका	:	

<table>
<tr><td></td><td>मुख्यालय होगा।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>क्या आप इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य हैं? यदि हां, तो इसका प्रमाण अपलोड किया जाना चाहिए।</td><td>:</td><td></td></tr>
<tr><td>9.</td><td>क्या आपके पास इंस्टिट्यूट ऑफ़ एक्चुअरीज़ ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी किया गया एक मान्य सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस (सीओपी) है? यदि हां, तो इसका प्रमाण अपलोड किया जाना चाहिए।</td><td>:</td><td></td></tr>
<tr><td>10.</td><td>क्या आपने पेशेवर आचरण का कोई उल्लंघन किया है। इस आशय का प्रमाणपत्र खण्ड 5 (iv) के अनुसार पोर्टल पर अपलोड किया जाना है।</td><td>:</td><td></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>क्या कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई/न्यायालय में मामला लंबित है? खंड 5 (v) के अनुसार प्रमाणपत्र अपलोड किया जाना है।</td><td>:</td><td></td></tr>
<tr><td>12.</td><td>क्या आपने खंड 5 (vii) के अनुसार एसए 2 (जीवन बीमा) उत्तीर्ण किया है।</td><td>:</td><td></td></tr>
<tr><td>13.</td><td>खंड 6 (i) के अनुसार भारत में बीमा उद्योग में बीमांकक के रूप में कार्य करने का अनुभव। (कंपनी/सरकारी जीवन बीमाकर्ता) (अनुभव के समर्थन में दस्तावेज अपलोड करें)</td><td>:</td><td><table><tr><th>संगठन/बीमाकर्ता</th><th>अवधि (से/तक)</th><th>कुल अवधि (वर्षों में)</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
</table>

14	खंड 6 (ii) के अनुसार भारत में जीवन बीमा उद्योग में बीमांकक के रूप में कार्य करने का अनुभव। (अनुभव के समर्थन में दस्तावेज अपलोड करें)	:	**संगठन/बीमाकर्ता**	अवधि (से/तक)	कुल अवधि (वर्षों में)
15.	क्या संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता, बैंक/कार्यनिष्पादन प्रतिभूति और बोली प्रतिभूति घोषणा प्रपत्र संलग्न है? (अनुबंध-पाँच, छह और सात) (हां/नहीं)	:			
16	मेरा प्रस्ताव बोली खुलने की तिथि से 180 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगा।				

हस्ताक्षर _____

नाम :

तारीख :

अनुबंध-दो

संचार मंत्रालय
डाक विभाग
(डाक जीवन बीमा निदेशालय)
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021

अर्हता-पूर्व मानदंड के मूल्यांकन के लिए टीईसी द्वारा अपनाया जाने वाला प्रारूप
(आरएफपी दस्तावेज का खंड 5 और खंड 8.1)

क्रम सं.	मद	अपेक्षित उत्तर
1	वह भारत का नागरिक होना/होनी चाहिए	हाँ
2	उसका निवास/मुख्यालय दिल्ली/दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में होना चाहिए। यदि नहीं, तो वह चयन के बाद दिल्ली / राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में रहने / मुख्यालय रखने के लिए तैयार है।	हाँ
3	वह बोली दस्तावेज जमा करने की तिथि को इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया (आईएआई) का/की फेलो सदस्य होना/होनी चाहिए। वह बोली दस्तावेज जमा करने की तिथि को 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए आईएआई का/की फेलो सदस्य होना/होनी चाहिए।	हाँ
4	उसने पेशेवर आचरण का उल्लंघन न किया हो।	हाँ
5	बोली दस्तावेज जमा करने की तिथि को उसके खिलाफ इंस्टिट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया या किसी अन्य बीमांकिक पेशेवर निकाय द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई या किसी भी न्यायालय में मामला लंबित नहीं होना चाहिए।	हाँ
6	उसके पास इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी वैध सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (सीओपी) होना चाहिए।	हाँ
7	बोली दस्तावेज जमा करने की तिथि को उसकी आयु पचपन (55) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	हाँ

ध्यान दें :

(i) यदि उपर्युक्त सभी 7 (सात) मदों में उत्तर हाँ है, तो बोलीदाता को अर्हता-पूर्व चरण पर योग्य माना जाएगा।

(ii) उपर्युक्त 7 (सात) अर्हता-पूर्व मानदंडों में से किसी को भी पूरा नहीं करने वाले प्रस्तावों को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

अनुबंध- तीन

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

(डाक जीवन बीमा निदेशालय)

चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021

तकनीकी बोली के मूल्यांकन के लिए बोलीदाता द्वारा भरा जाने वाला प्रारूप (आरएफपी दस्तावेज का खंड 6 और खंड 8.2)

<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>मद</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>खंड 6 (i) के अनुसार भारत में बीमा उद्योग में बीमांकक के रूप में कार्य करने का अनुभव। (कंपनी/सरकारी जीवन बीमाकर्ता) (अनुभव के समर्थन में दस्तावेज अपलोड करें)</td><td>
<table>
<tr><th>संगठन/बीमाकर्ता</th><th>अवधि (से/तक)</th><th>कुल अवधि (वर्षों में)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2</td><td>खंड 6 (ii) के अनुसार भारत में जीवन बीमा उद्योग में बीमांकक के रूप में कार्य करने का अनुभव। (अनुभव के समर्थन में दस्तावेज अपलोड करें)</td><td>
<table>
<tr><th>संगठन/बीमाकर्ता</th><th>अवधि (से/तक)</th><th>कुल अवधि (वर्षों में)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

हस्ताक्षर _____

नाम :

तारीख :

अनुबंध-चार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

(डाक जीवन बीमा निदेशालय)

चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021

<u>वित्तीय बोली उद्धृत करने के लिए प्रारूप</u>

बोलीदाता का नाम:

_____

क्रम सं.	**सेवा का विवरण**	**भारतीय रुपये में राशि (अंकों में)**	**भारतीय रुपये में राशि (शब्दों में)**
1	मासिक बीमांकिक परामर्श शुल्क		
2	सीजीएसटी @ 9%		
3	एसजीएसटी @ 9%		
	कुल		

हस्ताक्षर

नाम

तारीख :

ध्यान दें:

1. बोलीदाता द्वारा उद्धृत शुल्क में जीएसटी और अन्य लागू करों को छोड़कर सभी शुल्क शामिल होने चाहिए। खंड 4.16 से संबंधित कार्य का व्यय डाक विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

2. उद्धृत शुल्क बिना शर्त होना चाहिए और इसमें आरएफपी के खंड 4 में उल्लिखित कार्य पर होने वाला व्यय शामिल होना चाहिए।

3. यदि कोई बोलीदाता शून्य प्रभार/प्रतिफल उद्धृत करता है, तो बोली को प्रतिक्रियाहीन माना जाएगा और उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

अनुलग्नक V

संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता

यह बोली-पूर्व संविदा-पूर्व समझौता (इसके बाद इसमें सत्यनिष्ठा समझौता कहा गया है) श्री ..... अधिकार का पदनाम ..... मंत्रालय / विभाग..... भारत सरकार के माध्यम से अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक ओर प्रथम पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसके बाद इसमें "सेवा प्रयोक्ता" कहा गया है, जिसकी अभिव्यक्ति का अर्थ, जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो, कार्यालय में उसका उत्तराधिकार है और इसमें समनुदेशिती शामिल है) और दूसरे पक्षकार के रूप में श्री ..... मुख्य कार्यकारी अधिकारी ..... के प्रतिनिधित्व में मैसर्स ..... (जिसे इसमें इसके बाद "सेवा प्रदाता/विक्रेता" कहा गया है,जिसकी अभिव्यक्ति का अर्थ, जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो, उसका उत्तराधिकारी है और इसमें उसके समनुदेशिति शामिल हैं) के बीच वर्ष 2021 के ..... माह के ..... दिन निष्पादित किया गया है।

जबकि सेवा प्रयोक्ता खरीद (स्टोर/उपकरण/आइटम का नाम) का प्रस्ताव करता है और सेवा प्रदाता/विक्रेता स्टोर की पेशकश करने का इच्छुक है/पेशकश की है; और

जबकि सेवा प्रदाता एक निजी कंपनी/सार्वजनिक कंपनी/सरकारी उपक्रम/साझेदारी/पंजीकृत निर्यात एजेंसी है, जो इस मामले में संबंधित कानून के अनुसार गठित है और सेवा प्रयोक्ता भारत सरकार का मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो भारत के राष्ट्रपति की ओर से अपने कार्यों का निष्पादन करता है।

इसलिए अब,

भ्रष्टाचार के सभी रूपों से बचने के लिए एक ऐसी प्रणाली का पालन करके जो निष्पक्ष, पारदर्शी है और निम्नलिखित के उददेश्य से की जाने वाली किसी संविदा की अवधि से पहले, उसके दौरान और उसके बाद में की जाने वाली किसी भी प्रभावकारी/पूर्वाग्रहयुक्त सौदेबाजी से मुक्त है: -

सार्वजनिक खरीद पर उच्च लागत और भ्रष्टाचार के विकृत प्रभाव से बचते हुए निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप प्रतिस्पर्धी मूल्य पर वांछित उक्त स्टोर / उपकरण प्राप्त करने के लिए सेवा प्रयोक्ता को सक्षम करना , और

सेवा प्रदाताओं को रिश्वत देने या किसी भी भ्रष्ट आचरण में शामिल होने से रोकने के लिए सक्षम करने के लिए संविदा को सुरक्षित करने के लिए उन्हें यह आश्वासन प्रदान करके कि उनके प्रतियोगी भी रिश्वत और अन्य भ्रष्ट प्रथाओं से दूर रहेंगे और सेवा प्रयोक्ता अपने अधिकारियों द्वारा पारदर्शी प्रक्रियाओं का पालन करके किसी भी रूप में

भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध होगा ।

इसके पक्षकार एतद्द्वारा इस सत्यनिष्ठा समझौते को निष्पादित करने के लिए सहमत हैं और निम्नानुसार सहमति व्यक्त करते हैं: -

1. <u>सेवा प्रयोक्ता की प्रतिबद्धताएं</u>

1.1 सेवा प्रयोक्ता यह वचन देता है कि सेवा प्रयोक्ता का कोई भी अधिकारी, जो संविदा से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा है, बोली प्रक्रिया, बोली मूल्यांकन, संविदा या संविदा से संबंधित क्रियान्वयन प्रक्रिया में लाभ के बदले में, या तो स्वयं के लिए या संविदा से संबंधित किसी व्यक्ति, संगठन या तृतीय पक्षकार के लिए सेवा प्रदाता से किसी भी रिश्वत, प्रतिफल, उपहार, इनाम, उपकार या किसी भी महत्वपूर्ण या सारहीन लाभ या किसी भी अन्य लाभ की मांग नहीं करेगा।

1.2 सेवा प्रयोक्ता, संविदा-पूर्व चरण के दौरान, सभी सेवा प्रदाताओं के साथ समान व्यवहार करेगा, और सभी सेवा प्रदाताओं को समान जानकारी प्रदान करेगा और किसी विशेष सेवा प्रदाता को ऐसी कोई जानकारी प्रदान नहीं करेगा जो उस विशेष सेवा प्रदाता को अन्य सेवा प्रदाताओ की तुलना में लाभ दे सके।

1.3 उपरोक्त प्रतिबद्धताओं के किसी भी उल्लंघन या उल्लंघन के प्रयासों के साथ-साथ इस तरह के किसी भी उल्लंघन के सारवान संदेह के मामले में सेवा प्रयोक्ता के सभी अधिकारी उपयुक्त सरकारी कार्यालय को रिपोर्ट करेंगे।

2. यदि सेवा प्रदाता द्वारा ऐसे अधिकारी (अधिकारियों) की ओर से इस तरह के किसी भी पूर्ववर्ती दुराग्रही और सत्यापन-योग्य कदाचार की सूचना सेवा प्रयोक्ता को दी जाती है और यह सेवा प्रयोक्ता द्वारा प्रथमदृष्टया सही पाया जाता है, सेवा प्रदाता द्वारा आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही, या आपराधिक कार्यवाही सहित कोई भी अन्य कार्रवाई, जो वह उचित समझे, शुरू की जा सकती है और ऐसे व्यक्ति को संविदा प्रक्रिया से संबंधित आगे के व्यवहार से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसे मामले में, जबकि सेवा प्रयोक्ता द्वारा जांच की जा रही है, संविदा के तहत कार्रवाई बाधित नहीं होगी ।

3. <u>सेवा प्रदाताओं की प्रतिबद्धताएं</u>

सेवा प्रदाता, संविदा को सुरक्षित करने या इसकी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अपनी बोली के किसी भी चरण के दौरान या किसी संविदा-पूर्व या संविदा-उपरांत के चरण के दौरान भ्रष्ट प्रथाओं, अनुचित साधनों और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करता है और विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करता है :-

3.1 सेवा प्रदाता प्रत्यक्ष रूप से या बिचौलियों के माध्यम से, सेवा प्रयोक्ता के किसी भी अधिकारी, जो संविदा से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा है, या संविदा से संबंधित किसी व्यक्ति, संगठन या तृतीय पक्षकार को बोली प्रक्रिया, बोली मूल्यांकन, संविदा या संविदा से संबंधित क्रियान्वयन प्रक्रिया में लाभ के बदले में किसी रिश्वत, प्रतिफल, उपहार, इनाम, उपकार, कोई भी महत्वपूर्ण या सारहीन लाभ या किसी भी अन्य लाभ, कमीशन, शुल्क, दस्तूरी या प्रलोभन की पेशकश नहीं करेगा।

3.2 इसके अतिरिक्त, सेवा प्रदाता वचन देता है कि इसने संविदा के अधिप्रापण में या संविदा या सरकार के साथ किसी अन्य संविदा के संबंध में किसी व्यक्ति का पक्ष लेने या पक्ष लेने से रोकने या प्रतिरोध करने लिए संविदा या सरकार के साथ कोई संविदा प्राप्त करने या निष्पादित करने के संबंध में किसी कार्य को रोकने या कराने में सेवा प्रयोक्ता के किसी भी अधिकारी या अन्यथा को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई भी रिश्वत, उपहार, प्रतिफल, इनाम, उपकार, कोई भी महत्वपूर्ण या सारहीन लाभ या अन्य लाभ, कमीशन, शुल्क, दस्तूरी या प्रलोभन नहीं दिया है या देने का वादा नहीं किया है।

3.3 सेवा प्रदाता अभिकर्ताओं और प्रतिनिधियों के नाम और पते का प्रकटीकरण करेंगे और भारतीय सेवा प्रदाता अपने विदेशी मालिकों या सहयोगियों का प्रकटीकरण करेंगे।

3.4 सेवा प्रदाता इस बोली /संविदा के संबंध में अभिकर्ताओं/दलालों या किसी अन्य मध्यस्थ को उनके द्वारा किए जाने वाले भुगतानों का प्रकटीकरण करेंगे ।

3.5 * इसके अतिरिक्त, सेवा प्रदाता, सेवा प्रयोक्ता को पुष्टि करता है और घोषित करता है कि सेवा प्रदाता रक्षा स्टोरों का मूल विनिर्माता/समाकलक/प्राधिकृत सरकारी प्रायोजित निर्यात इकाई है और उसने किसी व्यक्ति या फर्म या कंपनी, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, को सेवा प्रदाता को संविदा प्रदान करने के लिए आधिकारिक या अनौपचारिक रूप से सेवा प्रयोक्ता या उसके किसी भी अधिकारी को हिमायत करने, सुविधा प्रदान करने या किसी भी तरह से सिफारिश करने के लिए शामिल नहीं किया है और न ही ऐसी किसी भी हिमायत, सुविधा या सिफारिश के संबंध में किसी ऐसे व्यक्ति, फर्म या कंपनी को किसी भी राशि का भुगतान किया गया है, न वादा किया गया है या न ही भुगतान करने का इरादा है।

3.6 सेवा प्रदाता, या तो बोली प्रस्तुत करते समय या संविदा-पूर्व वार्ता के दौरान या संविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले, अपने द्वारा सेवा प्रयोक्ता के अधिकारियों या उनके परिवार के सदस्यों, संविदा से संबंधित अभिकर्ताओं, दलालों या किन्हीं अन्य मध्यस्थों को किए गए, करने के लिए प्रतिबद्ध या आशयित किसी भी भुगतान और ऐसे भुगतान के लिए सहमत सेवाओं के ब्यौरों का प्रकटीकरण करेगा।

3.7 सेवा प्रदाता बोली प्रक्रिया, बोली मूल्यांकन, संविदा और संविदा के कार्यान्वयन की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को विकृत करने के लिए संविदा में अभिरूचि रखने वाले अन्य पक्षकारों के साथ गठजोड़ नहीं करेगा।

3.8 सेवा प्रदाता किसी भी भ्रष्ट आचरण, अनुचित साधनों और अवैध गतिविधियों के बदले में कोई लाभ स्वीकार

नहीं करेगा ।

3.9 सेवा प्रदाता, इलेक्ट्रॉनिक डाटा वाहक में निहित जानकारी सहित योजनाओं, तकनीकी प्रस्तावों और व्यावसायिक विवरणों के संबंध में व्यवसाय संबंध के रूप में प्रदान की गई किसी भी जानकारी का प्रतिस्पर्धा के प्रयोजनों के लिए या निजी लाभ या दूसरों को उजागर करने के लिए दुरूपयोग नहीं करेगा। सेवा प्रदाता उचित और पर्याप्त सावधानी बरतने का भी वचन देता है ताकि ऐसी कोई जानकारी का प्रकटीकरण न हो।

3.10 सेवा प्रदाता पूर्ण और सत्यापन योग्य तथ्यों का समर्थन किए बिना सीधे या किसी अन्य तरीके से कोई शिकायत देने से बचने के लिए प्रतिबद्ध है ।

3.11 सेवा प्रदाता ऊपर उल्लिखित किसी भी कार्रवाई के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं उकसाएगा या उकसाने का माध्यम नहीं बनेगा ।

3.12 यदि सेवा प्रदाता या सेवा प्रदाता का कोई कर्मचारी या सेवा प्रदाता की ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, सेवा प्रयोक्ता के किसी अधिकारी का रिश्तेदार है, या वैकल्पिक रूप से, यदि किसी अधिकारी के किसी रिश्तेदार का सेवा प्रदाता की फर्म में कोई वित्तीय हित/लाभ है; तो सेवा प्रदाता द्वारा निविदा दाखिल करते समय इसका प्रकटीकरण किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए 'रिश्तेदार' शब्द का अर्थ वहीं होगा जो कंपनी अधिनियम 1 956 की धारा 6 में परिभाषित है।

3.13 सेवा प्रदाता, सेवा प्रयोक्ता के किसी भी कर्मचारी को/से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से धनराशि उधार देने या लेने का कार्य नहीं करेगा या कोई भी मौद्रिक संव्यवहार या लेन-देन नहीं करेगा।

4. <u>पिछला उल्लंघन</u>

4.1 सेवा प्रदाता घोषणा करता है कि इस सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करने से ठीक पहले पिछले तीन वर्षों में किसी भी देश में किसी भी अन्य कंपनी के साथ या भारत में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम या किसी भी सरकारी विभाग के साथ किसी भी भ्रष्ट व्यवहार के संबंध में कोई पिछला उल्लंघन नहीं हुआ है, जो भारत में सेवा प्रदाता के निविदा प्रक्रिया से बाहर किए जाने को उचित प्रमाणित कर सकता है।

4.2 सेवा प्रदाता इससे सहमत हैं कि अगर यह इस विषय पर गलत-बयानी करता है, तो सेवा प्रदाता को निविदा प्रक्रिया या संविदा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, और यदि संविदा पहले ही सौंपी दी गई है तो उसे ऐसे कारणों से समाप्त किया जा सकता है।

5. <u>बयाना जमा राशि</u>

बोली प्रतिभूतिकरण घोषणा, आरएफपी दस्तावेज में निर्धारित के अनुसार प्रस्तुत की जा सकती है ।

6. <u>उल्लंघन के लिए मंजूरी</u>

6.1 सेवा प्रदाता या उसके द्वारा नियोजित या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा (चाहे सेवा प्रदाता के संज्ञान में या उसके बिना) उपरोक्त प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन के लिए, सेवा प्रयोक्ता, आवश्यकता पड़ने पर, निम्नलिखित में से सभी या किसी भी कार्रवाई का दायी होगा :-

(i) बिना कोई कारण बताए या सेवा प्रदाता को कोई मुआवजा दिए बिना संविदा-पूर्व वार्ता को तुरंत बंद करना। हालांकि, अन्य सेवा प्रदाता(ओं) के साथ कार्यवाहियां जारी रहेगी।

(ii) सेवा प्रदाता को कोई मुआवजा दिए बिना संविदा, यदि पहले से ही हस्ताक्षर किए गए हैं, को तुरंत रद्द किया जाना।

(iii) सेवा प्रयोक्ता द्वारा पहले से भुगतान की गई सभी राशियों वसूली करना, और भारतीय सेवा प्रदाता के मामले में भारतीय स्टेट बैंक की प्रचलित प्राथमिक ऋण दर से 2 % अधिक ब्याज के साथ, जबकि भारत से बाहर के देश के सेवा प्रदाता के मामले में लिबोर की ऋण दर से 2% अधिक ब्याज की वसूली करना। यदि किसी अन्य स्टोर के लिए किसी अन्य संविदा के संबंध में सेवा प्रयोक्ता की ओर से सेवा प्रदाता को कोई बकाया भुगतान देय है, तो ऐसे बकाया भुगतान का उपयोग पूर्वोक्त राशि और ब्याज की वसूली के लिए भी किया जा सकता है।

(iv) सेवा प्रयोक्ता द्वारा पहले से किए गए भुगतानों को ब्याज सहित वसूल करने के लिए सेवा प्रदाता द्वारा जमा की गई अग्रिम बैंक गारंटी और प्रदर्शन बांड/वारंटी बांड को भुनाना।

(v) सेवा प्रदाता के साथ सभी या किसी अन्य संविदा को रद्द करना। सेवा प्रदाता इस तरह के रद्दीकरण/निरस्तीकरण के परिणामस्वरूप सेवा प्रयोक्ता को किसी भी नुकसान या क्षति के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और सेवा प्रयोक्ता, सेवा प्रदाता को देय राशि से इस प्रकार की राशि की कटौती करने का हकदार होगा।

(vi) सेवा प्रदाता को कम से कम पांच वर्ष की अवधि, जिसे सेवा प्रयोक्ता के विवेक पर आगे बढ़ाया जा सकता है, के लिए भारत सरकार की भावी बोली प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित करना।

(vii) संविदा को सुरक्षित करने की दृष्टि से इस समझौते के उल्लंघन में सेवा प्रदाता (ओं) द्वारा किसी मध्यस्थ या अभिकर्ता या दलाल को भुगतान की गई सभी राशियों की वसूली करना।

(viii) ऐसे मामलों में जहां सेवा प्रयोक्ता द्वारा सेवा प्रदाता के साथ हस्ताक्षरित किसी भी संविदा के संबंध में

अपरिवर्तनीय साख पत्र प्राप्त हुए हैं, उन्हें नहीं खोला जाएगा ।

(ix) इस समझौते के उल्लंघन के लिए शास्ति अधिरोपित करने का कोई कारण बताए बिना सेवा प्रयोक्ता द्वारा इसे प्रदर्शन बांड़ जब्त करने के निर्णय के मामले में प्रदर्शन बांड की जब्ती।

6.2 सेवा प्रयोक्ता, सेवा प्रदाता या उसके द्वारा नियोजित या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा (चाहे सेवा प्रदाता के संज्ञान में या उसके बिना), भारतीय दंड संहिता, 1860 के अध्याय IX या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1 988 या भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए अधिनियमित किसी अन्य क़ानून में यथापरिभाषित अपराधों के कमीशन के लिए भी, इस समझौते के 6.1 (i) से (x) में उल्लिखित सभी या कोई भी कार्रवाई करने का हकदार होगा।

6.3 सेवा प्रदाता का इस आशय का यह निर्णय कि सेवा प्रदाता द्वारा इस समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, सेवा प्रदाता पर अंतिम और निर्णायक होगा। तथापि, सेवा प्रदाता इस समझौते के प्रयोजनों के लिए नियुक्त स्वतंत्र निगरानीकर्ता (ओं) के समक्ष जा सकता है।

7. फॉल खंड

7.1 सेवा प्रदाता यह वचन देता है कि उसने भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के संबंध में वर्तमान बोली में प्रस्तावित मूल्य से कम कीमत पर समान सेवा की आपूर्ति नहीं की है/नहीं कर रहा है और किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि सेवा प्रदाता द्वारा भारत सरकार के किसी भी अन्य मंत्रालय / विभाग या किसी पीएसयू के लिए इसी तरह की सेवा कम कीमत पर आपूर्ति की गई थी, तो है कि वर्तमान मामले के लिए वही मूल्य, बीते हुए समय के संबंध में उचित छूट के साथ, लागू होगा और यदि संविदा पहले ही समाप्त हो चुकी है, तो सेवा प्रदाता द्वारा सेवा प्रयोक्ता को ऐसी लागत की वापिसी की जाएगी।

8. स्वतंत्र निगरानीकर्ता

8.1 सेवा प्रयोक्ता ने इस समझौते के लिए निम्नलिखित स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ता (इसमें इसके बाद निगरानीकर्ता कहा गया है) नियुक्त किए हैं :

(i) श्री हरीश चंद्र, आईआरएएस (सेवानिवृत्त), भूतपूर्व निदेशक (वित्त), आरवीएनएल

(ii) श्रीमती सुषमा विश्वनाथ डाबक, आईएएएस (सेवानिवृत्त), भूतपूर्व- लेखा परीक्षा महानिदेशक

8.2 निगरानीकर्ताओं का कार्य स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से यह समीक्षा करना होगा कि क्या और किस सीमा तक पक्षकारों द्वारा इस समझौते के तहत दायित्वों का पालन किया जाता हैं ।

8.3 निगरानीकर्ता, पक्षकारों के प्रतिनिधियों के निर्देशों के अध्यधीन नहीं होंगे और अपने कार्यों का तटस्थ और स्वतंत्र रूप से निष्पादन करेंगे ।

8.4 दोनों पक्षकार स्वीकार करते हैं कि निगरानीकर्ताओं को बैठकों के कार्यवृत्त सहित परियोजना / अधिप्रापण से संबंधित सभी दस्तावेजों तक पहुंच का अधिकार है।

8.5 जैसे ही निगरानीकर्ता को यह पता चलता है, या उसे यह विश्वास करने के कारण होते हैं कि इस समझौते का उल्लंघन हुआ है, वह इसकी सूचना सेवा प्रयोक्ता द्वारा द्वारा नामित प्राधिकरण को देगा।

8.6 सेवा प्रदाता स्वीकार करता/करते है/हैं कि निगरानीकर्ता के पास सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किए गए प्रलेखन सहित सेवा प्रयोक्ता के सभी परियोजना प्रलेखन तक बिना किसी प्रतिबंध के पहुंच का अधिकार है। सेवा प्रदाता, निगरानीकर्ता को उसके अनुरोध और उसके द्वारा वैध हित बताए जाने पर, अपने परियोजना प्रलेखन के लिए अप्रतिबंधित और शर्तरहित पहुंच की अनुमति भी देगा। उपठेकेदारों पर भी यही बात लागू होती है। सेवा प्रदाता/उपठेकेदार(रों) की जानकारी और दस्तावेजों के साथ गोपनीय व्यवहार करने के लिए, निगरानीकर्ता संविदात्मक बाध्यता के अध्यधीन होगा ।

8.7 सेवा प्रयोक्ता परियोजना से संबंधित पक्षकारों के बीच सभी बैठकों के बारे में निगरानीकर्ता को पर्याप्त जानकारी प्रदान करेगा बशर्ते कि ऐसी बैठकों का पक्षकारों के बीच संविदात्मक संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता है। पक्षकार, निगरानीकर्ता को ऐसी बैठकों में भाग लेने का विकल्प प्रदान करेंगे।

8.8 निगरानीकर्ता, संदर्भ की तारीख या सेवा प्रयोक्ता/सेवा प्रदाता द्वारा उसे सूचित किए जाने की तारीख से 8 से 10 सप्ताह के भीतर सेवा प्रयोक्ता के नामोद्दिष्ट प्राधिकरण/ विभाग के सचिव को लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और, यदि स्थिति उत्पन्न होती है, तो समस्याग्रस्त स्थितियों में सुधार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

9. <u>जांच की सुविधा प्रदान करना</u>

इस समझौते के किसी प्रावधान के उल्लंघन या कमीशन के भुगतान के किसी भी आरोप के मामले में, सेवा प्रयोक्ता या उसकी एजेंसियां सेवा प्रदाता के बहीखातों सहित सभी दस्तावेजों की जांच करने की हकदार होंगी और सेवा प्रदाता अंग्रेजी में आवश्यक जानकारी और दस्तावेज प्रदान करेगा और ऐसी जांच के प्रयोजनार्थ हर संभव सहायता प्रदान करेगा।

10. <u>कानून और क्षेत्राधिकार का स्थान</u>

यह समझौता भारतीय कानून के अधीन है। कार्य-निष्पादन और क्षेत्राधिकार का स्थान सेवा प्रयोक्ता की पीठ होगी।

11. <u>अन्य कानूनी कार्रवाई</u>

इस सत्यनिष्ठा समझौते में विनिर्दिष्ट कार्रवाइयों का किसी भी अन्य कानूनी कार्रवाई, जिनका किसी भी नागरिक या आपराधिक कार्यवाही से संबंधित मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार अनुपालन किया जा सकता है, पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

12. <u>वैधता</u>

12.1 इस सत्यनिष्ठा समझौते की वैधता इसके हस्ताक्षर करने की तारीख से होगी और 3 वर्ष तक या वारंटी अवधि सहित सेवा प्रयोक्ता और सेवा प्रदाता / विक्रेता दोनों की संतुष्टि तक संविदा के पूर्ण निष्पादन तक, जो भी बाद में हो, होगी। सेवा प्रदाता के असफल रहने के मामले में, यह सत्यनिष्ठा समझौता संविदा पर हस्ताक्षर करने की तारीख से छह महीने के बाद समाप्त हो जाएगा।

12.2 यदि इस समझौते के एक या एक से अधिक प्रावधान अमान्य हो जाते हैं, तो इस समझौते का शेष भाग वैध रहेगा। ऐसे मामले में, पक्षकार अपने मूल आशय के लिए एक समझौता बनाने का प्रयास करेंगे।

13. यह सत्यनिष्ठा समझौता …….. को ..... बजे पक्षकारों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया जाता है।

सेवा प्रयोक्ता	बोलीदाता
अधिकारी का नाम	
पदनाम	
विभाग/मंत्रालय	
गवाह	गवाह
1._____	1._____
2._____	2._____

- विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारतीय अभिकर्ताओं की भागीदारी के संबंध में इन खंडों के प्रावधानों को सेवा प्रयोक्ता की नीति के अनुरूप संशोधित/हटाने की आवश्यकता होगी।

बैंक/निष्पादन प्रतिभूति के लिए प्रारूप

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति

जबकि ..... (नाम और बोलीदाता का पता) (इसके बाद इसमें "बीमांकक" कहा गया है) संविदा संख्या ..... दिनांकित ..... के अनुसरण में डाक विभाग (इसके बाद इसमें “नियोक्ता” कहा गया है) को बीमांकिक सेवाएं प्रदान करने का वचन देता है। और जबकि उक्त संविदा में आपके द्वारा यह निर्दिष्ट किया गया है कि परामर्शदाता बीमांकक संविदा के अनुसार अपने दायित्वों के अनुपालन के लिए प्रतिभूति के रूप में निर्दिष्ट राशि के लिए आपको आपके द्वारा स्वीकार किए गए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा;

और जबकि हम बोलीदाता को ऐसी बैंक गारंटी देने के लिए सहमत हैं;

अब इसलिए हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि हम परामर्शदाता की ओर से कुल ₹..... (..... रुपये मात्र) (शब्दों और अंकों में गारंटी की राशि) तक के लिए प्रतिभूतिदाता और आपके लिए जबावदेह हैं, और हम संविदा के तहत मीडिया एजेंसी को चूककर्ता घोषित करने वाली आपकी पहली लिखित मांग पर और बिना किसी लापरवाही या तर्क-वितर्क के, आपको आपकी मांग या उसमें निर्दिष्ट राशि को प्रमाणित करने या आधार या कारण दर्शाने की आवश्यकता के बिना पूर्वोक्त सीमाओं (गारंटी की राशि) के भीतर किसी भी राशि या राशियों का भुगतान करने का वचन देते हैं।

हम, एतद्द्वारा, हमें मांग के साथ प्रस्तुत किए जाने से पहले परामर्शदाता बीमांकक से उक्त ऋण की मांग करने की आपकी आवश्यकता को छूट प्रदान करते हैं।

इसके अतिरिक्त, हम सहमत हैं कि आपके और बोलीदाता के बीच किए जा सकने वाले किसी भी संविदा दस्तावेज़ या इसमें निष्पादित की जाने वाली किसी संविदा की शर्तों में कोई बदलाव या परिवर्धन या अन्य संशोधन किसी भी तरह से हमें इस गारंटी के तहत किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं करेगा और हम एतद्द्वारा ऐसे किसी परिवर्तन, परिवर्धन या संशोधन की सूचना को छूट प्रदान करते हैं।

इस बैंक गारंटी की व्याख्या भारत के कानूनों के अनुसार की जाएगी।

प्रतिभूतिदाता बैंक यह दर्शाता है कि यह बैंक गारंटी ऐसे रूप में और ऐसी सामग्री के साथ प्रमाणित की गई है जो इसमें दी गई रीति में प्रतिभूतिदाता बैंक के सापेक्ष अपनी शर्तों के अनुसरण पूरी तरह से प्रवर्तनीय है।

यह बैंक गारंटी प्रतिभूतिदाता बैंक के विलय, समामेलन, पुनर्गठन या संरचना में किसी अन्य परिवर्तन के कारण किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त, बैंक, डाक विभाग की लिखित पूर्व-सहमति के बिना इस गारंटी को अपने प्रचलन के दौरान प्रतिसंहरित न करने का वचन देता है।

बैंक घोषणा करता है कि उसे इस गारंटी को निर्गत करने और इसमें परिकल्पित दायित्वों का निर्वहन करने का अधिकार प्राप्त है, अधोहस्ताक्षरी विधिवत अधिकृत है और उसे बैंक की ओर से इस गारंटी को निष्पादित करने का पूर्ण अधिकार है।

यह गारंटी निविदा अवधि अर्थात् उसके कार्यकाल / संविदा के पूरा होने की तारीख के बाद 180 दिनों तक और उसके सहित लागू रहेगी और इसके संबंध में कोई भी मांग बैंक के समक्ष उक्त तारीख से पहले प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए।

यह गारंटी वर्ष 2018 के ..... माह के ..... दिन तक वैध रहेगी।

(बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

.....

अधिकारी का नाम और पदनाम

.....

.....

बोली-प्रतिभूतिकरण घोषणा का प्रारूप

दिनांक:

सेवा में:

मुख्य महाप्रबंधक, पीएलआई निदेशालय,
डाक जीवन बीमा निदेशालय,
चाणक्यपुरी, डाक घर परिसर (पोस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स),
नई दिल्ली - 110021

हम, अधोहस्ताक्षरी, घोषणा करते हैं कि:

हम मानते हैं कि, आपकी शर्तों के अनुसार, बोलियों के साथ एक बोली-प्रतिभूतिकरण घोषणा दी जानी चाहिए।

हम स्वीकार करते हैं कि यदि हम बोली शर्तों के तहत अपने दायित्व का उल्लंघन करते हैं, तो हमें बोली खोलने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए डाक विभाग के साथ किसी भी संविदा में बोली (बोलियां) लगाने की पात्रता से स्वतः निलंबित कर दिया जाएगा, क्योंकि हमने:

(क) बोली पत्र में निर्दिष्ट बोली वैधता की अवधि के दौरान हमारी बोली वापस ले ली है; या

(ख) बोली वैधता की अवधि के दौरान डाक विभाग द्वारा हमारी बोली की स्वीकृति के बारे में हमें सूचित किया गया है , (i) यदि आवश्यक हो तो संविदा को निष्पादित करने में असफल रहते हैं या निष्पादन से इनकार करते हैं, या (ii) निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं या इनकार करते हैं।

हम मानते हैं कि यदि (i) सफल बोलीदाता के नाम के बारे में हमें आपकी सूचना प्राप्त होने से पहले ; या (ii) हमारी बोली की समाप्ति के अट्ठाईस दिन बाद, हम सफल बोलीदाता नहीं हैं, तो यह बोली-प्रतिभूतिकरण घोषणा समाप्त हो जाएगी,

हस्ताक्षरित: [उस व्यक्ति के हस्ताक्षर सन्निविष्ट करें जिसका नाम और पद दर्शाया गया है] के पद पर [बोली-प्रतिभूतिकरण घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का वैध पद सन्निविष्ट करें]

नाम: [बोली-प्रतिभूतिकरण घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पूरा नाम सन्निविष्ट करें]

के लिए और उसकी ओर से बोली पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत अधिकृत: [बोलीदाता का पूरा नाम सन्निविष्ट करें]

दिनांक वर्ष _____ के _____ माह का _____ दिन:[हस्ताक्षर करने की तारीख सन्निविष्ट करें]

कॉर्पोरेट की मुहर (जहां उचित हो)

अनुलग्नक VIII

प्रावरण (कवरिंग) पत्र, स्पष्टीकरण, विचलन, वचनबद्धता और शपथ पत्र के लिए प्रारूप

1.1 तकनीकी प्रस्ताव प्रावरण पत्र

(प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले आवेदक के आधिकारिक लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाना है)।

संदर्भ: _____

दिनांक और स्थान: _____

मुख्य महाप्रबंधक, पीएलआई निदेशालय,
डाक जीवन बीमा निदेशालय,
चाणक्यपुरी डाकघर परिसर (पोस्ट ऑफिस काम्प्लेक्स),
नई दिल्ली - 110021

महोदय,

संदर्भ: प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी): परामर्शदाता बीमांकक की नियुक्ति

मैं परामर्शदाता बीमांकक की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) का संदर्भ देता हूं।

मैंने आरएफपी दस्तावेज़ की सामग्री को पढ़ और समझ लिया है और इसके अनुसार , मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता हूं कि मुझे परामर्शदाता बीमांकक के रूप में कार्य करने और आरएफपी दस्तावेज़ में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त हैं।

आरएफपी दस्तावेज की जांच करने के बाद, जिसकी प्राप्ति की एतद्द्वारा विधिवत रूप से पावती दी गई है, मैं, अधोहस्ताक्षरी, परामर्शदाता बीमांकक की नियुक्ति के लिए आरएफपी में अपेक्षित और उल्लिखित सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं ।

ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए और आरएफपी दस्तावेजों में निर्धारित सेवाओं को प्रदान करने के लिए, मैं आरएफपी दस्तावेज़ के लिए अपनी प्रतिक्रिया, जो कि परामर्शदाता बीमांकक के रूप में चयन के लिए हमारे प्रस्ताव का भाग हैं, इसके साथ संलग्न करता हूं

मैं, यदि मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो आरएफपी या ऐसी समायोजित योजना, जो बाद में हमारे और पीएलआई या इसके नियुक्त प्रतिनिधियों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत हो सकती हैं, में निर्धारित शर्तों का पालन करने का वचन देता हूं।

मैं आरएफपी दस्तावेजों में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को बिना-शर्त स्वीकार करने के लिए सहमत हूं।

मैं पुष्टि करता हूं कि इस प्रस्ताव या इसके दस्तावेज, अनुसूची सहित इसके किसी भाग और पीएलआई को दिए गए अन्य दस्तावेज में निहित जानकारी सत्य, सटीक और पूर्ण है। इस प्रस्ताव में यह सुनिश्चित करने के लिए सभी जानकारी शामिल हैं कि इसमें दिए गए विवरण, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से , पीएलआई को किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में गुमराह नहीं करते हैं।

भवदीय,

_____ के लिए और उसकी ओर से (कंपनी का नाम सन्निविष्ट करें)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(कंपनी की मुहर के साथ हस्ताक्षर सहित अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम)

1.2 वित्तीय प्रस्ताव प्रावरण पत्र

(प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले आवेदक के आधिकारिक लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाना है)।

संदर्भ: _____

दिनांक और स्थान: _____

मुख्य महाप्रबंधक, पीएलआई निदेशालय,
डाक जीवन बीमा निदेशालय,
चाणक्यपुरी डाकघर परिसर (पोस्ट ऑफिस काम्प्लेक्स),
नई दिल्ली - 110021

महोदय,

संदर्भ: प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी): परामर्शदाता बीमांकक की नियुक्ति

मैंने आरएफपी दस्तावेज़ की सामग्री को पढ़ और समझ लिया है और इसके अनुसार , मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता हूं कि मुझे परामर्शदाता बीमांकक के रूप में कार्य करने और आरएफपी दस्तावेज़ में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त हैं।

आरएफपी दस्तावेज की जांच करने के बाद, जिसकी प्राप्ति की एतद्द्वारा विधिवत रूप से पावती दी गई है, मैं, अधोहस्ताक्षरी, परामर्शदाता बीमांकक की नियुक्ति के लिए आरएफपी में अपेक्षित और उल्लिखित सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए और आरएफपी दस्तावेजों में निर्धारित सेवाओं को प्रदान करने के लिए, मैं आरएफपी दस्तावेज़ के लिए अपनी प्रतिक्रिया, जो कि हमारे प्रस्ताव का भाग हैं, इसके साथ संलग्न करता हूं।

मैं, यदि मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो आरएफपी या ऐसी समायोजित योजना, जो बाद में हमारे और पीएलआई या इसके नियुक्त प्रतिनिधियों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत हो सकती हैं, में निर्धारित शर्तों का पालन करने का वचन देता हूं।

मैं आरएफपी दस्तावेजों में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को बिना-शर्त स्वीकार करने के लिए सहमत हूं।

मैं पुष्टि करता हूं कि इस प्रस्ताव या इसकी अनुसूची सहित इसके किसी भाग और पीएलआई को दिए गए अन्य दस्तावेज में निहित जानकारी सत्य, सटीक और पूर्ण है। इस प्रस्ताव में यह सुनिश्चित करने के लिए सभी जानकारी शामिल हैं कि इसमें दिए गए विवरण, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से , पीएलआई को किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में गुमराह नहीं करते हैं।

भवदीय,

_____ के लिए और उसकी ओर से (कंपनी का नाम सन्निविष्ट करें)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(कंपनी की मुहर के साथ हस्ताक्षर सहित अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम)

1.3 स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध

स्पष्टीकरण के लिए आवेदक का अनुरोध			
अनुरोध प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम		**अनुरोध प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम और पद**	**फोन, फैक्स, ईमेल, संपर्क के बिंदुओं सहित व्यक्ति का पता**
			दूरभाष: **फैक्स:** **ईमेल:**
क्रम सं.	**संदर्भ (खंड संख्या / पृष्ठ संख्या)**	**आरएफपी की विषय-वस्तु, जिस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है**	**आवश्यक स्पष्टीकरण के बिंदु**
1			
2			
3			

1.4 विचलन, यदि कोई हो, के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए प्रारूप

विचलन के लिए आवेदक का स्पष्टीकरण			
स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने वाले संगठन का नाम		**स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम और पद**	**फोन, फैक्स, ईमेल, संपर्क के बिंदुओं सहित संगठन का पता**
			दूरभाष: **फैक्स:** **ईमेल:**
क्रम सं.	**संदर्भ** **(खंड संख्या और पृष्ठ संख्या)**	**प्रस्ताव में विचलन**	**कारण**
1			
2			
3			